

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक
प्रकरण संख्या 39 / 2021

सेतराम चोधरी एडवोकेट अदालत परिसर टोंक राज0

बनाम

--अपीलार्थी

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा जिला- टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 20-12-2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13-08-2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

1 भूमि खसरा नम्बर 397 / 1981 रकबा 2.49 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा प.म. विजयनगर आईएलआर क्षेत्र पलाई हाल फूलेता तहसील उनियारा में स्थित है उक्त खसरा नं. जमाबन्दी संवत 2069-2072 के खाता नं 26 में 11 व्यक्तियों के नाम है परन्तु अगली जमाबन्दी संवत 2073-76 वर्ष 2017 से स्थायी के खाता नम्बर 24 में उक्त आराजी अकेले जगदीश पुत्र दुर्गालाल के नाम आ गई, इस परिवर्तन के लिये उक्त आराजी में भरे गये नामान्तरणों की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जावे जिसमें उक्त खसरा नं. अकेले जगदीश के नाम आया।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा को पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 23-11-2021 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा द्वारा पत्र क्रमांक: RTI/2021/1269 दिनांक 15-12-2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक: 1223/राजस्व/2021 दिनांक 9-12-2021 से जरिये डाक से भिजवायी गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
टोंक